प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

पत्र संख्या 1294 /एल0बी0सी0–21/एन0जी0टी0/गा0बाद दिनांक 6 मई, 2024

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 **Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh** व अन्य के सम्बन्ध में सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय अधिकरण में विचाराधीन वाद ओ0ए0 नम्बर 877/2022 **Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh** व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 30–1–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रकरण के सम्बन्ध में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

मा0 अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फरीदनगर को आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिसके कम में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फरीदनगर द्वारा दिनांक 04–5–2024 को अपनी आख्या प्रस्तुत की गई है, जिसका उल्लेख स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट में कर दिया गया है।

अतः मा0 अधिकरण में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करने हेतु आख्या सेवा में अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय

(अभिनव गोपाल)
प्र0 जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद।

पत्रॉक 99 / नपफ–एनजीटी–877 / 2022 / 2023–2024 दिनॉक: 04.05.2024

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5
उ0प्र0 शासन लखनऊ।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या–877 / 2022 Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य मे पारित आदेश दिनॉक 30.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या एन0 जी0 टी0–59(1) / नौ–5–2024–23रिट / 2023 दिनॉक 27 मार्च 2024 एवं शासन के पत्र संख्या एन0 जी0 टी0–59(2) / नौ–5–2024–33रिट / 2023 नगर विकास अनुभाग–5 दिनॉक 01 मई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराने से पूर्व उल्लेखनीय है कि अधोरत्ताक्षरी नगर पंचायत पतला जनपद गाजियाबाद में अधिशापी अधिकारी के पद पर तैनात है और 04 मार्च 2024 को नगर पंचायत पतला के साथ साथ नगर पंचायत फरीदनगर के अधिशाषी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है । फरीदनगर के अधिशापी अधिकारी के पद के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के बाद उक्त प्रकरण का संज्ञान होने पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा तत्काल निम्न कार्यवाही की गई है–

1. प्रश्नगत वाद में वर्णित तालाबों की राजस्व विभाग व चकबन्दी विभाग के लेखपालों के द्वारा संयुक्त रुप से पैमाईश कराई गई पैमाईश के समय खतौनी के गाटा संख्या 1128 (तालाब)के कुछ भाग पर 57 व्यक्तियों के अवैध रुप से पक्के भवन निर्मित पाये गये । तालाब पर अवैध रुप से भवन बनाने वाले लोगो को अवैध कब्जों को स्वयं हटाने के लिए 57 व्यक्तियों को 3 माध्यमों से नोटिस प्रकाशित किये गये है– पंजीकृत डाक द्वारा, प्रमुख स्थानों पर चस्पा द्वारा तथा समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा।।(संलग्नक– 1)

2. तालाबों में आबादी के दूषित ड्रेनेज को तालाब में गिरने से रोकने के लिए नाले का निर्माण करने, तार फैंसिंग के कार्य एवं तालाब के जीर्णोद्वार / कायाकल्प का कार्य कराने के लिए नगर पंचायत फरीदनगर के द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की गई परन्तु नगर पंचायत फरीदनगर की आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि उक्त कार्य को अपने संसाधनों से करा सके इसलिए उक्त डीपीआर के सापेक्ष अनुदान अवमुक्त करने लिए डीपीआर पत्रांक संख्या–69 / न0पा0फ0–एनजीटी–877 / 2023–24 दिनॉक 10.04.2024 के द्वारा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ को भेजी जा चुकी है धनराशि उपलब्ध होने पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या–877 / 2022 Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य मे पारित आदेश दिनॉक 30.01.2024 जारी आदेश के सापेक्ष कार्य करा कर आदेश का सम्पूर्ण पालन किया जायेगा। (संलग्नक–2)

3. नगर पंचायत फरीदनगर के द्वारा निकाय का कूडा नालों एवं तालाबों में गिरने से रोकने के लिए एजेन्सी को डोर टू डोर कलेक्शन कराकर Segregation & Processing हेतु अधिकृत किया गया है। (संलग्नक–3)

4. नगर पंचायत फरीदनगर की वर्ष 2026 की अभिकल्पिक जनसंख्या 16080 के अनुसार नगर की कुल सीवरेज जनरेशन 1.74 MLD है। स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय 2.0 (SBM-U-2.0) कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत फरीदनगर में उत्सर्जित सीवरेज के निस्तारण हेतु वर्ष 2023 में जल निगम के माध्यम से डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी थी। उक्त प्राक्कलन के भाग–01 में "Interception & Diversion (I&D) and STP Work In Faridnagar Town" अनुमानित लागत रु0 1099.22 लाख एवं प्राक्कलन के भाग–02 में "Sewer Network in core sanitation Zone in Faridnagar Town" अनुमानित लागत रु0 824.14 लाख की डी0पी0आर0 प्रेषित की गयी थी, जिसमें जल निगम गाजियाबाद को अन्य निर्देश प्राप्त होने पर नगर पंचायत फरीदनगर को अवगत कराया गया है कि संशोधित डी0पी0आर0 दिनॉक 15.05.2024 तक प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ को प्रेषित कर दिया जाये।। (संलग्नक– 4)

Scanned with OKEN Scanner

5. तालाबों के रख–रखाव एवं तालाबों के संरक्षण हेतु नगर पंचायत फरीदनगर के द्वारा किये जा कार्यो की निगरानी एवं तालाबो की लोकेशन के अनुसार कार्य के लिए सुझाव प्रदान आदि के लिए नगर पंचायत फरीदनगर में निवास करने वाले व्यक्तियों की निगरानी समिति का गठन किया गया है। (संलग्नक–5)

6. प्रश्नगत वाद में सम्मलित तालाबों में से कतिपय तालाबों में एनजीटी के आदेशों के अनुकम 15 वें वित्त आयोग के मद में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा स्वीकृत व्यय प्रस्तावों के कार्यो के लिए विशेष परिस्थिति (आदर्श आचार संहिता) उत्पन्न होने के कारण तालाबों पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु तत्काल कार्य करने की अनुमति हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सक्षम स्तर से अनुरोध किया गया है। वर्तमान में आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त स्वीकृति विचाराधीन है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जा सकेगा । (संलग्नक– 6)

7. नगर पंचायत फरीदनगर में लगभग 98 प्रतिशत घरों में सैप्टिक टैंक निर्मित है, वर्तमान में नगर पंचायत में एफएसटीपी प्लान्ट न होने के कारण Fecal Sluge को वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारित करने हेतु नगर पालिका परिषद मोदीनगर से अनुबन्ध किया गया है। (संलग्नक– 7)

8. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0 ए0 संख्या–877/2022 Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेशों का पालन नगर पंचायत फरीदनगर के द्वारा किये जाने की सक्षम/विभागीय स्तर से कार्यवाही विचाराधीन है। साथ ही अनुरोध है कि धन के अभाव में प्रश्नगत उपरोक्त डीपीआर में सम्मलित महत्वपूर्ण कार्य नगर पंचायत के द्वारा किया जाना सम्भव नही हो पायेगा इसके लिए शासन से अनुदान अपेक्षित है ।

महोदय को सादर अवगत कराना है कि उक्त के अनुपालन हेतु नगर पंचायत कार्यालय पत्रांक–78/नपफ–एनजीटी–877/2022/2023–2024 दिनांक: 25.04.2024 के द्वारा पूर्व में भी ई–मेल/पंजीकृत डाक द्वारा पत्र प्रेपित किया जा चुका है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि नगर पंचायत फरीदनगर के द्वारा शासन को प्रेपित डीपीआर के कियान्वयन हेतु अनुदान अवमुक्त कराने की कृपा करें।

संलग्नक–यथोपरि

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर
जनपद–गाजियाबाद

अध्यक्ष
नगर पंचायत फरीदनगर
जनपद–गाजियाबाद।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक महोदय, नगरीय निकाय उ0प्र0।
2– आयुक्त महोदय,मेरठ मण्डल मेरठ।
3– जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद ।
4– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), विरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, गाजियाबाद ।
5–अपर जिलाधिकारी(प्रभारी), स्थानीय निकाय अधिकारी, गाजियाबाद।

/
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर
जनपद–गाजियाबाद

/
अध्यक्ष
नगर पंचायत फरीदनगर
जनपद–गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

हनुमान जयंती पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अयोध्या की सरयू नदी में स्नान कर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए। इस दौरान एक किलोमीटर तक भक्तों की लाइन लग गई।

राममंदिर निर्माण के लिए बढ़ाए गए 500 मजदूर

अब चार हजार मजदूर मंदिर समेत परकोटा, रिटेनिंग वॉल, सप्त मंडपम को दे रहे आकार

अयोध्या। राममंदिर निर्माण की गति बढ़ा दी गई है। मंदिर सहित अन्य कई प्रकल्पों पर एक साथ काम चल रहा है। 161 फुट ऊंचे राममंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को देखते हुए मजदूरों की संख्या 3500 से बढ़ाकर चार हजार कर दी गई है। राममंदिर के दूसरे तल व शिखर के निर्माण की गति बढ़ा दी गई है।

राममंदिर के साथ-साथ परिसर में परकोटा, रिटेनिंग वॉल, सप्त मंडपम व शेषावतार मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है। ये सभी काम इसी साल के अंत तक पूरे किए जाने हैं। ऐसे में ...

90% काम शेषावतार मंदिर का पूरा हो चुका

राममंदिर के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र बताते हैं कि ...

फर्जी ऑनलाइन कार्यक्रमों पर यूजीसी की चेतावनी

10 डेज एमबीए जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों में नामांकन से बचें

नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ...

न्यूज डायरी

अजीत पवार की पत्नी व बेटे को मिली वाई-प्लस सुरक्षा

आज वाराणसी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

अभियोजन का दावा...अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र में हुआ है फर्जीवाड़ा

यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल पकड़ा

एसटीएफ ने की कार्रवाई, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम का रिसॉर्ट किया था बुक

संवाद न्यूज एजेंसी

मेरठ। यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी विक्रम पहल को एसटीएफ ने मंगलवार सुबह बागपत के खेकड़ा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाने के लिए गुरुग्राम का नेचर वैली रिसॉर्ट उसी ने बुक किया था। उसके पास से भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र, हस्तलिखित कुंजी, मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया है।

आरोपी विक्रम पहल

400 अभ्यर्थियों को लेकर गया था रिसॉर्ट

अब तक ऐसे पकड़े गए 16 आरोपी

नेचर वैली रिसॉर्ट मानेसर गुरुग्राम को बताया था सही स्थान

700 करोड़ की ड्रग तस्करी में शामली का तहसीम गिरफ्तार

बैंक खाते में नशीले पदार्थों की बिक्री से हुई आय आने की पुष्टि

डिवाइडर तोड़ ट्रक से टकराई बस, चार की मौत

हादसे में बस में सवार और ट्रक चालक सहित 35 लोग घायल

चालक को झपकी आने पर हादसा

उच्चतम खतरे से रक्षा के लिए डीआरडीओ ने तैयार की सबसे हल्की बुलेटप्रूफ जैकेट

एआई 30 मिनट पहले कर देगा दिल की धड़कन की भविष्यवाणी

चारधाम यात्रा : 50 स्थानों पर होगी स्वास्थ्य जांच

गांव जंक्शन LIVE

पानी नहीं, तो शादी नहीं कुंवारों का गांव

पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने दी जान, चौकी इंचार्ज व सिपाही पर केस

भूपेश बघेल, अखिलेश, जयंत समेत 13 नेताओं की राहत बढ़ी

लखनऊ : खुले मैनहोल में गिरे आठ साल के बच्चे की मौत

लापरवाही में इंजीनियर और सुपरवाइजर निलंबित

कार्यालय नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद

नोटिस

दिनांक 23.04.2024

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद-गाजियाबाद।

बोलेरो नियो और होंडा अमेज कार सफर के लिहाज से असुरक्षित...ग्लोबल एनसीएपी से मिली खराब सुरक्षा रेटिंग

अमेज में साइड एयरबैग नहीं

कन्नौज से फिर अखिलेश यादव ही लड़ सकते हैं चुनाव

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद।

पत्रांक 69 / नपफ– एनजीटी –877/2022/ 2023–2024 दिनांक 10-04-2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव
नगर विकास विभाग
उ0प्र0 शासन
बापू भवन लखनऊ।

द्वारा जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 ओ0ए0 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 सरकार से सम्बन्धित तालाबों का जीर्णोद्धार करने हेतु अंकन 436.59 लाख रुपया की कार्ययोजना के सापेक्ष धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि नगर पंचायत फरीदनगर जनपद गाजियाबाद के तालाबों के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 सरकार लम्बित है उक्त वाद में दिनॉक 07 मई 2024 की तिथि नियत है ।

महोदय, अगवत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी नगर पंचायत पतला, जनपद गाजियाबाद में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात है और दिनॉक 04 मार्च 2024 को अधोहस्ताक्षरी को नगर पंचायत फरीदनगर के अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त हुआ है ।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के पारित आदेशों के अनुपालन हेतु तालाबो के मौके का मुआयना करने के बाद तालाबों की मौके की स्थिति के अनुरुप तालाबों की साफ सफाई/आबादी की नालियों के पानी को डायवर्ट करके नाले के माध्यम से जल को तालाब में गिरने से रोका जा सकेगा, साथ ही आबादी की ओर तालाबों की तार फैंसिंग की भी आवश्यकता है। उक्त कार्य कराये जाने के लिए नगर पंचायत फरीदनगर के द्वारा आगणन तैयार करा कर 436.59 लाख रुपया की कार्य योजना(D.P.R.) तैयार की गई है।

माननीय राष्ट्रीय अधिकरण के द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु नगर पंचायत फरीदनगर की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि कार्य योजना में सम्मलित कार्यो को अपने संसाधनों से करा सके । प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से सम्बन्धित तालाबों पर कार्य योजना के अनुसार कार्य कराकर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। इस लिए नगर पंचायत फरीदनगर को शासन स्तर पर अनुरक्षित तार फैंसिंग लेखे से अंकन 436.59 लाख शीघ्र अवमुक्त किया जाना अति आवश्यक है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन स्तर पर तार फैंसिंग हेतु अनुरक्षित लेखे से नगर पंचायत फरीदनगर को अंकन 436.59 लाख शीघ्रअतिशीघ्र अवमुक्त कराने की कृपा करे।

संलग्नक 1–कार्य योजना
2– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद सं0 ओ0ए0 877/2022 में पारित आदेश की प्रति।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद।

अध्यक्ष
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद।

प्रतिलिपि–1–अग्रिम प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, महोदय,नगर विकास उ0प्र0 शासन लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– निदेशक , महोदय गरीय निकाय उ0प्र0 सेक्टर –7 गोमतीनगर एक्स0 लखनऊ।को आवश्रूक कार्यवाही हेतु।
3– आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्रूक कार्यवाही हेतु।

Scanned with OKEN Scanner

कारी ,महोदय गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ कि नगर पंचायत फरीदनगर के द्वारा प्रस्तुत
ा को अपनी संस्तुति सहित शासन को अग्रसरित करने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद।

अध्यक्ष
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

O.A No-877/
मा० राष्ट्रीय

कार्यालय–नगर पंचायत फरीदनगर, जनपद–गाजियाबाद।

पत्रांक-345/ न0पं0फ0 / 2024

दिनांकः–13 मार्च, 2024

कार्यादेश–पत्र

1. फर्म का नाम – अर्थ सोलुसनस एच 227 गंगा नगर मवाना रोड मेरठ।
2. कार्य का नाम – नगर पंचायत फरीदनगर मे उज्सर्जित समस्त कचरे का सॉलिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट नियमावली 2016 के अनुसार डोर टू डोर सेग्रीटेड कलैक्शन टांसपॉर्टेशन एवं अन्तिम निस्तारण करना, साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजेमेन्ट का स्थाई मॉडल / ससटैनेबल मॉडल बनाना।
3. कार्य की लागत निविदा के अनुसार – 5,10,018–00
4. सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृति का दिनांक – 13–03–2024
5. जमानत धनराशि – 51,000–00
6. कार्य पूर्ण करने की अवधि – 06 माह

उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपकी निविदा सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 13–03–2024 को स्वीकृत कर दी गई है। अतः आप निर्धारित रूपये के स्टाम्प पेपर पर निविदा की शर्तो एवमं नियमों के अनुरूप अनुबन्ध कराकर कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा कार्य का बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रतिमाह प्रस्तुत करें ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष महादेया, नगर पंचायत फरीदनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर

O.A No-877/ 2022 : Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh & Ors. में मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के सम्बन्ध में

अनुपालन आख्या

नगर पंचायत फरीदनगर, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2026 की अभिकल्पित जनसंख्या 16080 के अनुसार नगर का कुल Sewerage Generation 1.74 MLD है। नगर के लगभग 98% घरों में सेप्टिक टैंक निर्मित है। वर्तमान में नगर का उत्सर्जित सीवेज, नालियों एवं नालो के माध्यम से नगर में स्थित तालाबों में प्रवाहित हो रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 (SBM-U 2.0) कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पंचायत फरीदनगर में उत्सर्जित सीवरेज के निस्तारण हेतु वर्ष 2023 में विस्तृत प्राक्कलन विरचित किया गया था। उक्त प्राक्कलन के भाग –1 में "Interception & Diversion (I&D) and STP Work in Faridnagar town." अनुमानित लागत रु0 1099.22 लाख (5 वर्ष का रखरखाव एवं संचालन अनुमानित लागत रु0 542.38 लाख सहित) में निम्न प्राविधान किये गये:–

1	Interception & Diversion (I &D) Sewer	594 M
2	Tapping arrangement	02 Nos.
3	Main Pumping Station	01 No
4	STP cum Co-treatment Facilities (1.25 MLD STP & 1.5 KLD Co-treatment)	01 No.
5	Treatment Effluent line	185 M.
6	Cesspool Vehicle for emptying the sludge (1000 Lt. capacity)	01 No.
7	Power Connection	01 Job

393

उक्त प्राक्कलन के भाग –2 में Sewer Network in core sanitation Zone in Faridnagar town, अनुमानित लागत रु0 824.14 लाख (5 वर्ष का रखरखाव एवं संचालन अनुमानित लागत रु0 37.26 लाख सहित) में निम्न प्राविधान किये गये:–

1.	Sewer Network	7.654 Km.
2.	Sewer House conneciton	863 Nos.

उक्त दोनों प्राक्कलनों का अग्रेजल मुख्य अभियन्ता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्रांक 506/प्राक्कलन दिनांक 14.02.2023 किया गया एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 507/प्राक्कलन दिनांक 14.02.2023 के द्वारा मुख्य अभियन्ता, (पी0पी0.आर0बी0डी0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को प्रेषित किया गया था।

उक्त प्राक्कलन में एस0बी0आर0 तकनीक आधारित एस0टी0पी0 प्रस्तावित किया गया था , जिसके 05 वर्ष के संचालन एवं रखरखाव पर रु0 542.38 लाख आंकलित किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 (SBM-U 2.0) कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित प्राक्कलन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 का संचालन एवं रखरखाव सुलभ एवं मितव्ययी होने तथा एस0टी0पी0 की तकनीक, प्रकृति आधारित रखे जाने हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नगर पंचायत, फरीदनगर में उत्सर्जित सीवरेज के निस्तारण हेतु पूर्व में विरचित प्राक्कलन, संशोधित कर दिनांक 15.05.2024 तक प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को प्रेषित कर दिया जायेगा।

03.05.24	03/05/2024	3/5/2024
(आर0के0 पंकज)	(सी0एस0 सोलंकी)	(संजय कुमार)
मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र),	अधीक्षण अभियन्ता,	अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	निर्माण मण्डल,	निर्माण खण्ड (द्वितीय)
गाजियाबाद	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)	उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
	गाजियाबाद	गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय –
पत्रांक– ..
सेवा में

कार्यालय नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद

पत्रांक 76 नपफ– एनजीटी –077/2022/ 2023-2024 दिनांक 23/04/2024

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 संख्या 077/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एव अन्य के अनुकम मे नगर पंचायत फरीदनगर के तालाब खसरा न0 1128 की साफ सफाई करने, अतिकमण से मुक्त कराने सीवेज जल को तालाब मे गिरने से रोकने हेतु समुचित प्रबन्धन करने तथा पर्यावरण के संरक्षण हेतु नगर पंचायत फरीदनगर के सर्वसमाज से जागरूक एवं गणमान्य नागरिको की, अधिशासीअधिकारी की अध्यक्षता मे सदस्यो की निम्न समिति का गठन किया जाता है।

समिति तालाब की सफाई, सीमेरी निस्तारण, सीवेज जल को तालाब मे गिरने से रोकने हेतु एव तालाब को अतिकमण मुक्त करने हेतु किये जा रहे कार्यो का निरीक्षण निगरानी,व समय समय पर अपने मार्गदर्शन एव सुझाव प्रस्तुत करेगे।

क0सं0	नाम	पिता/ पति का नाम	समिति	पता	मोबाई न0
1	रेशमा	जुबैर	अध्यक्ष	वार्ड न0 08 फरीदनगर	9582181515
2	इनाम भाई	सम्सु	सदस्य	वार्ड नं0 10 फरीदनगर	9027683757
3	महरइलाही	अल्लामहर	सदस्य	वार्ड नं0 10 फरीदनगर	9758855875
4	जाहिद अंसारी	बुन्दु	सदस्य	वार्ड नं0 4 फरीदनगर	8983019127
5	सलीम मेवती	बाबू	सदस्य	वार्ड नं0 02 फरीदनगर	7520015970
6	डा0 आरिफ	इस्लामुददीन	सदस्य	वार्ड नं0 11 फरीदनगर	9758828537
7	कृपाल चौहान	परमा	सदस्य	वार्ड नं0 05 फरीदनगर	8535084522
8	शकील नेता	कलवा	सदस्य	वार्ड नं0 10 फरीदनगर	9971133190
9	इकराम	यासीन	सदस्य	वार्ड नं0 04 फरीदनगर	9312317575
10	इरफूल	हरिसिंह	सदस्य	वार्ड नं0 01 फरीदनगर	7417105519
11	लोकेश जाटव	ओमप्रकाश	सदस्य	वार्ड नं0 03 फरीदनगर	9368061763

रेशमा

(रेशमा कुरैशी)
अध्यक्ष
नगर पंचायत फरीदनगर
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –
1– उपजिलाधिकारी मोदीनगर ।
2– समिति के समस्त सदस्य
3–अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फरीदनगर . ।
4– पत्रावली पर अनुरक्षित करने हेतु ।

रेशमा

(रेशमा कुरैशी)
अध्यक्ष
नगर पंचायत फरीदनगर
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय – नगर पंचायत फरीदनगर (गाजियाबाद)

e-mail id: n.pfaridnagar@gmail.com

पत्रांक– 68 / न0पं0फ0 मा0 रा0 हरि0 अधि0 / 2024 दिनांक 10.04.2024

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30–01–2024 के अनुकम में 15 वित्त आयोग के अर्न्तगत Tied Grant में स्वीकृत तालाबों की सफाई के कार्य को टैण्डर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30–01–2024 के अनुकम में नगर पंचायत फरीदनगर में खसरा नं0 980 व 585 में स्थित तालाबो की सफाई का कार्य किया जाना था।

उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि इन दोनो तालाबो में सफाई का कार्य 15 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है। किन्तु तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने एवं काफी समय तक अधिशासी अधिकारी के पद कोई तैनाती न होने के कारण टैण्डर प्रकिया सम्पन्न न हो सकी।

अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पतला, जनपद गाजियाबाद को 04 मार्च 2024 को नगर पंचायत फरीदनगर में अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त हुआ है। अधोहस्ताक्षरी, के द्वारा आचार सहिता लगने व न्युन्तम निविदा समय अवधि न मिलने के कारण टैण्डर प्रकिया नही की जा सकी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, के पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि अगली सुनवाई (07 मई 2024) से पुर्व नगर पंचायत के द्वारा कुछ कार्य प्रगति दिखाये जाने हेतु इस कार्य को कराये जाना अति आवश्यक प्रतित हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आचार सहिंता के समय काल में इन स्वीकृत कार्यो को टैण्डर करने की स्वीकृति प्रदान करने अथवा मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करे जिससे नगर पंचायत के द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके।

संलग्नक– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनॉक 30जनवरी 2024 की छाया प्रति ।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद

No. 3897/15.04.24

ADM (E)

प्रमुख सचिव नगर विकास ... से निविदा आमंत्रण की अनुमति हेतु प्रस्ताव भिजवायें। शासन में C.S. की अध्यक्षता में committee गठित है।

15/4/24
DM

OC/LBC
प्रस्तुत करें।
RVB

ADM(E)
426
18/4

Scanned with OKEN Scanner

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No	:	IN-UP42104622478615W
Certificate Issued Date	:	04-May-2024 03:35 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up16001504/ MODINAGAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP16001504804190049135177W
Purchased by	:	NAGAR PANCHAYAT FARIDNAGAR
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	NAGAR PALIKA PARISHAD MODINAGAR
Second Party	:	NAGAR PANCHAYAT FARIDNAGAR
Stamp Duty Paid By	:	NAGAR PANCHAYAT FARIDNAGAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY
VINOD KUMAR
Advocate
Ghaziabad
Reg. No. 10850
GOVT. OF INDIA

अनुबन्ध पत्र

सीवरेज प्रबन्धन के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत घरेलू एवं सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाला स्लज निस्तारण नगर पालिका परिषद मोदीनगर सीमान्तर्गत स्थित एस.टी.पी. STP/FSTP पर निस्तारण किये जाने के लिए अनुबन्ध पत्र।

प्रथम पक्ष :– नगर पालिका परिषद मोदीनगर द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद।

द्वितीय पक्ष :– नगर पंचायत फरीदनगर द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, फरीदनगर जनपद–गाजियाबाद।

NOTARY
VINOD KUMAR
Advocate
Ghaziabad
Reg. No. 10650
GOVT. OF INDIA

Scanned with OKEN Scanner

यह कि उक्त पत्र में निम्नलिखित अनुबन्ध करते हैं –

1. यह कि द्वितीय पक्ष–प्रस्ताव के अनुसार नगर पंचायत फरीदनगर प्रति सीवर टैंक भरने के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 1500.00 + 2.75/[illegible] की द्वारा नगर पालिका परिषद मोदीनगर से निर्धारित स्थान तक की तय दूरी प्रति चक्कर नगर पालिका परिषद मोदीनगर प्रथम पक्ष को देय होगा।
2. यह कि दोनो पक्ष की सहमति द्वारा रूपये 100.00 के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध किया गया है। यदि शासन द्वारा प्रषित टीम द्वारा स्टाम्प राशि के सम्बन्ध मे कोई आपत्ति की जाती है तो इसके प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
3. यह कि उक्त कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के नये दिशा निर्देशों का अनुपालन दोनो पक्षों की पुनः आपसी सहमति से तय होगी।
4. यह कि अनुबन्ध हस्ताक्षर की तिथि से दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रभावी होगा। तत्पश्चात आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि बढाई जायेगी।
5. यह कि उक्त कार्य में आने वाली समस्यओं/कठिनाईयों का समाधान दोनो पक्षों द्वारा सहमति से किया जायेगा।
6. यह कि समय–समय पर शासन के नियम भी द्वितीय पक्ष को माननें होगें।
7. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध में दी गयी शर्तो का अनुपालन नहीं करता है तो प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि 02 माह की पूर्व नोटिस उपरान्त अनुबन्ध समाप्त कर सकता है तथा कि शर्त पूर्ति के लिए प्रमुख सचिव, नगर विकास लखनऊ के लिए प्रस्ताव भेज सकता है।

अतः अनुबन्ध पत्र लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।
यह अनुबन्ध आज दिनांक से लागू नाना जायेगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत फरीदनगर

ATTESTED
VINOD KUMAR
Reg. No. 10850
Notary Public, GZB
Govt. of India

Scanned with OKEN Scanner

स्पीड पोस्ट/ई–मेल

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्र संख्या– 1203 /21–एल0बी0सी0/गा0बाद/2024 दिनॉकः 18, अप्रैल 2024

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30.01.2024 के अनुक्रम में 15 वित्त आयोग के अन्तर्गत Tied Grant में स्वीकृत तालाबों की सफाई के कार्य को टेण्डर स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद के पत्र संख्या–68/न0प0फ0 मा0 राष्ट्र0 हरि0 अधि0/2024 दिनॉक 10.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि उक्त पत्र दिनॉक 10.04.2024 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30.01.2024 के अनुक्रम में 15 वित्त आयोग के अन्तर्गत Tied Grant में स्वीकृत तालाबों की सफाई के कार्य को टेण्डर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम राज्य एवं अन्य में अगली सुनवाई की तिथि दिनॉक 07.05.2024 को निर्धारित की गयी है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद के पत्र दिनॉक 10.04.2024 की छायाप्रति मय संलग्नकों सहित संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त प्रकरण में निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फरीदनगर गाजियाबाद को उनके पत्र दिनॉक 10.04.2024 के क्रम में सूचनार्थ।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय – नगर पंचायत फरीदनगर (गाजियाबाद)

e-mail id: n.pfaridnagar@gmail.com

पत्रांक– 68 /न0प0फ0 मा0 राष्ट्र0 हरि0 अधि0/2024 दिनॉक– 10.04.2024

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30–01–2024 के अनुक्रम में 15 वित्त आयोग के अर्न्तगत Tied Grant में स्वीकृत तालाबों की सफाई के कार्य को टैण्डर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30–01–2024 के अनुक्रम में नगर पंचायत फरीदनगर में खसरा नं0 980 व 585 में स्थित तालाबो की सफाई का कार्य किया जाना था।

उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि इन दोनो तालाबो में सफाई का कार्य 15 वे वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुका है। किन्तु तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने एवं काफी समय तक अधिशासी अधिकारी के पद कोई तैनाती न होने के कारण टैण्डर प्रक्रिया सम्पन्न न हो सकी।

अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पतला, जनपद गाजियाबाद को 04 मार्च 2024 को नगर पंचायत फरीदनगर में अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त हुआ है। अधोहस्ताक्षरी, के द्वारा आचार सहिता लगने व न्युन्तम निविदा समय अवधि न मिलने के कारण टैण्डर प्रकिया नही की जा सकी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, के पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि अगली सुनवाई (07 मई 2024) से पुर्व नगर पंचायत के द्वारा कुछ कार्य प्रगति दिखाये जाने हेतु इस कार्य को कराये जाना अति आवश्यक प्रतित हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आचार सहिंता के समय काल में इन स्वीकृत कार्यो को टैण्डर करने की स्वीकृति प्रदान करने अथवा मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करे जिससे नगर पंचायत के द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा सके।

संलग्नक– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनॉक 30जनवरी 2024 की छाया प्रति ।

No– 3897/S-ADM

ADM (E)

प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग से निविदा आमंत्रण की अनुमति हेतु प्रस्ताव भिजवायें। शासन में C.S. की अध्यक्षता में Committee गठित है।

(हस्ताक्षर)
15/4/24
DM

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अधिशासी,
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद

OC/LBC
प्रस्तुत करें।
RVB

ADM(E)
426
18/4

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या: एन0जी0टी0-69(1)/नौ-5-2024-33रिट/2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5-अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फरीदनगर, जनपद-गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2024

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-877/2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-एन0जी0टी0-69/नौ-5-2024-33रिट/2024 दिनांक 08.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-877/2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या-14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को 15 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है। प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 07.05.2024 नियत है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 08.02.2024 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-877/2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या-14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को 07 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता/व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक-(यथोपरि)

भवदीय,
27.03.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
27.03.24

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक- 1157 /21-एल0बी0सी0/2024 दिनांक 30 मार्च 2024

प्रतिलिपि-1-नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

2-अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फरीदनगर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि उक्त रिट याचिका में निर्धारित तिथि से पूर्व कृत कार्यवाही कर अनुपालन आख्या 07 दिवस के अन्दर शासन को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। चूंकि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित है, अतः प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाये।

प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0)/
कृते जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल
प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

1–नगर आयुक्त, (नाम से)
नगर निगम, गाजियाबाद।
2–अधिशासी अधिकारी, (नाम से)
नगर पंचायत फरीदपुर, जनपद–गाजियाबाद।

संख्या–पी0एम0यू0/9943 /429(14)/2023 लखनऊः दिनांक/5 फरवरी, 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 Paryavaran Mitra Vs. State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–एन0जी0टी0 59/नौ–5–2024–33रिट/2023 दिनांक 08 फरवरी, 2024 जो आपको भी सम्बोधित है (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या–14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को **15 दिन के अन्दर** उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 07.05.2024 को नियत है।**

उक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या–14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन **आख्या 15 दिन के** अन्दर शासन व मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराने कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से अच्छादित है। अतएव् व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(डॉ0 नितिन बंसल)
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–
1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. गार्ड फाईल।

(डॉ0 नितिन बंसल) 14/2/24
राज्य मिशन निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याः एन0जी0टी0–59 / नौ–5–2024–33रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5–अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फरीदनगर, जनपद–गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक08 फरवरी, 2024**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877 / 2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877 / 2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 07.05.2024 नियत है।**

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877 / 2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या–14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता / व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नःयथोक्त।

भवदीय,
08.02.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
08.02.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Item No.17 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 877/2022

Paryavaran Mitra Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 30.01.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Gaurav Sharma Advocate

Respondent: Mr. Pradeep Misra Advocate for UPPCB. (Through VC)
Mr. Vibhav Mishra Advocate for MC Ghaziabad & Nagar Panchayat, Faridnagar with Mr. Vipin Kumar Singh Sengar, Executive Officer, Nagar Panchayat.
Mr. Rakesh Kumar Singh, DM, Ghaziabad. (Through VC)

ORDER

1. Applicant, Paryavaran Mitra has filed this Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **"NGT Act, 2010"**) alleging that there are huge encroachments in the area of pond comprising Khasra No. 10, 33, 310, 343, 355, 387 घ, 609, 691, 980, 1046, 1047, 1103, 1109 and 1128 with a total area of 11.1350 hectares is situated at Kasba Farid Nagar, Police Station Bhojpur, Tehsil Modi Nagar, District Ghaziabad, Uttar Pradesh. Encroachments have been caused by raising constructions of houses, animal sheds and other structures for residential and commercial purposes. These encroachments have resulted in pond being converted into mass sewage carrying toxic waste i.e. garbage, plastic, cardboard, thermocol, human waste, animal dung, acidic water, etc., and natural flora and fauna of the pond, including its natural form which has been

Scanned with OKEN Scanner

totally destroyed and despite several complaints made to authorities, no action was taken.

2. Being satisfied that a substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactments under NGT Act, 2010 has arisen in the matter, Tribunal found it appropriate to obtain a factual report before proceeding further in the matter and for the purpose constituted a Joint Committee comprising representatives of Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Ghaziabad.

3. Joint Committee submitted report dated 18.03.2023 giving details of 14 ponds in para 7 of the report. It is stated that it requires some further information to verify other facts stated in Original Application. Details of ponds given in para 7 of the report are as under:

"

S. No.	Khasra No.	Ward/Mohalla	Area (in Hectare)
1	10	Ward no 08 Mohalla Teliyan Bhojpur Seema	0.7970
2	33	Ward no 08 Mohalla Teliyan Bhojpur Seema	0.5880
3	310	Ward no 10 Mohalla Kureshiyan Opposite Pump No 2 (Near Van Vibhaag)	0.0890
4	343	Ward no 10 Mohalla Kureshiyan Naya talab (Near Nafeesh's farm)	2.2950
5	355	Ward no 10 Mohalla Vyapariyan Nakawali (Near Mosque)	0.7080
6	387 El-	Ward no 8 Mohalla Teliyan (Opposite Office)	0.7650
7	609	Ward no 03 Mohalla Gautampuri Jatt ki Maddhya Amarala Seema	0.1520
8	691	Ward no 5 Mohalla Rajputana Holi (Near Chowk)	0.2780
9	980	Ward no 03 Mohalla Gautam puri (Opposite DUDA Flats)	0.8090

Scanned with OKEN Scanner

10	1046	Ward no 3 Mohalla Gautam Puri (Near Soran Sabhasad)	0.7840
11	1047	Ward no 3 Mohalla Gautam Puri (Near Soran Sabhasad)	0.0380
12	1103	Ward no 11 Mohalla Pust Chowki (Behind Hospital)	0.3670
13	1128	Ward no 7 Mohalla Bhojpuriyan Bada talab	3.0480
14	585	Ward no 3 Mohalla Gautampuri (Behind Maharaja Agrasain School)	0.4170

”

4. Tribunal considered said report on 21.04.2023 but found it appropriate to have necessary response of all the respondents, in the matter.

5. A status report dated 29.01.2024 has been filed by Nagar Panchayat Parishad, Faridnagar giving details of 14 ponds in para 4 as under:

“

Sl. Nos.	Khasra Nos.	Ward/Mohalla	Area as per record (Hec.)	Area available in (Hec.)	Last measured	Remarks
1.	10	8, Taleyan (W)	0.7970	0.7970	27.12.2023	Dry + Silt
2.	33	8 Taleyan (W)	0.5880	0.5880	27.12.2023	Dry + Wet
3.	310	10 Kureshiyan	0.0890	0.0890	27.12.2023	Wet
4.	343	10 Kureshiyan	2.2950	2.2950	18.01.2024	Wet
5.	355	10 Kureshiyan	0.7080	0.5860	08.01.2024	Wet
6.	387 Gha	8 Taleyan (W)	0.7650	0.7650	27.01.2024	Wet + Filled
7.	585	3 Gouttampuri	0.4170	0.4170	08.01.2024	Dry
8.	609	3 Gouttampuri	0.1520	0.1520	08.01.2024	Filled
9.	691	11 Pust Chowki	02780	02780	25.01.2024	Wet + Filled
10.	980	3 Gouttampuri	0.8090	0.8090	08.01.2024	Dry
11.	1046	3 Gouttampuri	0.7840	0.7840	20.01.2024	Wet
12.	1047	3 Gouttampuri	0.3080	0.3080	20.01.2024	Wet
13.	1103	5 Holli Chowk	0.3670	0.3670	24.01.2024	Wet
14.	1128	7 Bhojpuriyan	3.0480	2.3400 + reclaiming	27.01.2024	Wet + Encroached

”

6. It has stated that except pond at Khasra No. 1128 all other ponds have been made encroachment free but with regard to restoration of

Scanned with OKEN Scanner

ponds to their original form, it is said that the same is under process. With regard to encroached pond, it is said that encroachments are quite old and removal of encroachments will take some time. It is also said that for ponds at Khasra No. 585 and 980, Rs. 17.62 lakhs have been spent for cleaning by removal of sludge and weeds but the chart shows that these ponds are dry and when we questioned as to what kind of removal of sludge and weeds in dry ponds has been made, learned Counsel appearing for Nagar Panchayat Parishad, Faridnagar stated that in fact statement given in para 9 with regard to spending of Rs. 17.62 lakhs is not correct and only tender has been invited and said amount has been earmarked.

7. Shri Rakesh Kumar Singh, District Magistrate, Ghaziabad is present through virtual mode and stated that before spending the amount, matter would be reconsidered and he will look into the matter pesonally. It is also stated that no Sewage Treatment Plant (hereinafter referred to as **"STP"**) is existing in Faridnagar town and 2 STPs are under consideration in respect whereof Detailed Project Reports are being prepared by UP Jal Nigam with an estimated cost of Rs. 1099.69 lacs and Rs. 1061.06 lacs.

8. When we questioned as to what is the daily generation of sewage and where sewage is being discharged presently, no satisfactory reply could be given. It appears that whatever sewage is being generated, it is untreated and is being discharged directly into storm water drain which is ultimately meeting some river in respect whereof detailed information could not be given either by Executive Officer, Nagar Panchayat Parishad, Faridnagar who is also present in person or by District Magistrate, Ghaziabad.

Scanned with OKEN Scanner

9. At this stage, without issuing any specific direction, we only direct that proper assessment of sewage generation in terms of septage from septic tanks and grey water generation may be done and accordingly, sewage treatment facilities be established. Such facilities should be operable with desired results in view of the local conditions and not with high cost technologies which Nagar Parishad cannot operate. Simultaneously, utilization of treated sewage for raising plantation or for other irrigation purpose should also be attempted.

10. Situation of maintenance of sewage in Faridnagar town is highly unsatisfactory. It is evident that despite complete prohibition under Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as **"Water Act"**), discharge of untreated water i.e. polluting material is continuing on land and stream and no effective steps for its management is presently existing in the town and whatever has been stated in the report dated 29.01.2024 is all at stage of mere consideration.

11. We also take judicial notice of the fact that in OA 606/2018, *Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and other environmental issues*, Tribunal is considering issue of management of solid and liquid waste State-wise Pan India and in respect of State of UP, a direction has been issued for creating a ring-fenced account of more than Rs. 5000 crores under the supervision of Chief Secretary, UP who is supposed to allot funds for taking remedial action for management of solid and liquid waste across the State and compliance report is also required to be submitted to Tribunal.

12. In the present case, no reference has been made either to amount deposited in ring fenced account in OA No. 606/2018 nor it is stated as

Scanned with OKEN Scanner

to whether any amount has been released for Faridnagar town for the purpose of management and handling of liquid waste in said town, nor it is mentioned that any proposal has been sent to Chief Secretary, UP or any request has been made for releasing any amount. It is really surprising that all the authorities in hierarchy are working incoherently and without taking effective steps and unfortunately ultimately environment is the victim, being damaged continuously.

13. If anyone has committed non-compliance of mandatory provisions of Water Act or Environment (Protection) Act, 1986 and has acted in violation thereof, such violation is a criminal offence and responsible person must be prosecuted. Hence, initially we were inclined to issue such directions but, considering the request made by Executive Officer, Nagar Panchayat Parishad, Faridnagar and District Magistrate, Ghaziabad, we are inclined to give one more opportunity to them to take actual effective remedial steps at the ground level and submit a compliance report as per observations contained in Para 10 within three months. We make it very clear that with regard to amount deposited in ring-fenced account pursuant to order passed in OA No. 606/2018 relating to State of UP, appropriate facts shall also be given.

14. We also direct Respondent No. 4, i.e., Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Urban Development Department to give its response particularly in respect to use/allocation of funds from the amount of ring-fenced account created pursuant to order dated 23.03.2023 passed in OA 606/2018 with regard to local body in question and also how he (Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Urban Development Department) has taken effective steps for management of sewage in Faridnagar town. The said reply shall be submitted within three months. In case no reply is submitted, Additional Chief

Scanned with OKEN Scanner

Secretary/Principal Secretary, Urban Development Department shall appear in person before Tribunal on the next date of hearing.

15. List this matter on 07.05.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 30, 2024
Original Application No. 877/2022
DV

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

पत्र संख्या– 1183 /21–एल0बी0सी0/2024 दिनॉक 09 अप्रैल 2024

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
फरीदनगर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–पी0एन0यू0/9943/429(14)/2023 दिनॉक 14 फरवरी 2024 के क्रम में अपने पत्र संख्या–08/न0पं0फ0 मा0 राष्ट्र हरि0 अधि0/2024 दिनॉक 05.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र दिनॉक 05.04.2024 के अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30.01.2024 के अनुक्रम में नगर पंचायत फरीदनगर में सीवर व्यवस्था कायम करने हेतु अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (द्वितीय) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को डी0पी0आर0 तैयार कर शासन को अग्रसरित करने हेतु इस स्तर से निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30.01.2024 के अनुक्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (द्वितीय) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद से समन्वय स्थापित कर डी0पी0आर0 को तैयार कराते हुए स्वयं शासन में उपस्थित होकर वांछित डी0पी0आर0/आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चुंकि प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली से आच्छादित है, अतः प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाये।

संलग्नक– यथोपरि।

RVS 09/04/24

(रणविजय सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)/
वरि0प्र0अ0 स्था0नि0
गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय – नगर पंचायत फरीदनगर (गाजियाबाद)

e-mail id: n.pfaridnagar@gmail.com

पत्रांक–08/न0प0फ0 मा0 राष्ट्र0 हरि0 अधि0/2024 दिनांक– 05-04-2024

5208/EBK
od/USC

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

कराने का कष्ट करें।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30–01–2024 के अनुकम में जल निगम के माध्यम से नगर पंचायत फरीदनगर में सीवर सिस्टम विकसित कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 877/2022 पर्यावरण मित्र बनाम उ0प्र0 राज्य एंव अन्य में पारित आदेश दिनॉक 30–01–2024 के अनुकम में नगर पंचायत फरीदनगर में सीवर व्यवस्था कायम किया जाना है सीवर व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा उ0प्र0 जल निगम अधिकृत है । नगर पंचायत फरीदनगर की सीवर व्यवस्था हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर अनुदान हेतु शासन को प्रेषित की जानी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर पंचायत फरीदनगर में सीवर व्यवस्था कायम करने हेतु अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (द्वितीय)उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को डीपीआर तैयार कर शासन को अग्रसरित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करन का कष्ट करे।

संलग्नक– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनपॉक 30जनवचरी 2024 की छाया प्रति ।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद।

अध्यक्ष,
नगर पंचाय फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय) उ0प्र0 जल निगम (नपगरीय)

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत फरीदनगर,
जनपद–गाजियाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

ई–मेल
प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय,
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

1–नगर आयुक्त, (नाम से)
नगर निगम, गाजियाबाद।
2–अधिशासी अधिकारी, (नाम से)
नगर पंचायत फरीदपुर, जनपद–गाजियाबाद।

संख्या–पी0एम0यू0/9943 /419(14)/2023 लखनऊः दिनांक 14 फरवरी, 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 Paryavaran Mitra Vs. State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–एन0जी0टी0 59/नौ–5–2024–33रिट/2023 दिनांक 08 फरवरी, 2024 जो आपको भी सम्बोधित है (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या–14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 07.05.2024 को नियत है।**

उक्त के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877/2022 Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या–14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन **आख्या 15 दिन के** अन्दर शासन व मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराने कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से अच्छादित है। अतएव् व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 नितिन बंसल)
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
3. गार्ड फाईल ।

14/2/24
(डॉ0 नितिन बंसल)
राज्य मिशन निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या: एन0जी0टी0–59 / नौ–5–2024–33रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
3–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
4–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5–अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत फरीदनगर, जनपद–गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक॰8 फरवरी, 2024**

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877 / 2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877 / 2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 07.05.2024 नियत है।**

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–877 / 2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 के बिन्दु संख्या–14 में उल्लिखित तथ्यों एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यथाशीघ्र समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव शीर्ष प्राथमिकता / व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नःयथोक्त।

भवदीय,
08.02.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–श्री भँवर पाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली।
2–श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
08.02.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

Scanned with OKEN Scanner